न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2025 **दायर दिनांकः 19.03.2025**

1. भगवती देवी आयु 74 वर्ष पुत्री किशोरीलाल पत्नी रामबाबू जाति खटीक निवासी आटोन तहसील अटरू हाल विज्ञान नगर काटा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 28.05.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 76 का खसरा नं. 1522 का रकबा 0.89 है0, खसरा नं. 219 का रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 379 का रकबा 0.81 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.76 हैक्टर आराजी प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। जो कि प्रार्थिया के हिस्सा 1/6 दर्ज खाता है, इसी प्रकार ग्राम एवं माल आटोन में खाता संख्या 77 का खसरा नं. 151 का रकबा 0.85 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.85 हैक्टर आराजी प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। जो कि प्रार्थिया के हिस्सा 1/6 दर्ज खाता है। दोनों खातों की नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थिया का नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा फौती नामान्तरण में वारिसान का नाम दर्ज करते समय सहवन से भगवती देवी पुत्री किशोरीलाल के स्थान पर भंवरी बाई पुत्री किशोरीलाल अंकित कर दिया है जो कि गलत है। प्रार्थिया का सही नाम भगवती देवी है जो कि उसके आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, बैंक डायरी, मेडिकल डायरी आदि दस्तावेजो में भी भगवती

देवी नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिल गौर है। प्रार्थिया राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम भंवरी बाई के स्थान पर भगवती देवी दर्ज करवाने की अधिकारिणी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम भंवरी बाई कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब को अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल आटोन तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 76 का खसरा नं. 1522 का रकबा 0.89 है0, खसरा नं. 219 का रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 379 का रकबा 0.81 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.76 हैक्टर व ग्राम एवं माल आटोन में खाता संख्या 77 का खसरा नं. 151 का रकबा 0.85 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.85 हैक्टर आराजी में प्रार्थिया का नाम भंवरी बाई पुत्री किशोरीलाल के स्थान पर भगवती देवी पुत्री किशोरीलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1175 दिनांक 28.04.2025 से रिपोर्ट पेश की गई।

अभिभाषक प्रार्थीया ने साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र भगवती देवी पुत्री किशोरीलाल पत्नी रामबाबू जाति खटीक तहसील अटरू व रतन बाई पुत्री किशोरीलाल जाति खटीक निवासी

आटोन तहसील अटरू जिला बारां के पेश किये गये तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 76, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 77, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, आर.जी.एच.एस कार्ड शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार अटरू का अवलोकन किया गया। रतन बाई पुत्री किशोरीलाल जो कि प्रार्थिया की बहन है ने भी प्रार्थिया का नाम भगवती देवी होना बताया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण शपथ गवाहान तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 76 का खसरा नं. 1522 का रकबा 0.89 है0, खसरा नं. 219 का रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 379 का रकबा 0.81 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.76 हैक्टर व ग्राम एवं माल आटोन में खाता संख्या 77 का खसरा नं. 151 का रकबा 0.85 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.85 हैक्टर आराजी में सहखातेदार भंवरी बाई पुत्री किशोरीलाल के स्थान पर भगवती देवी उर्फ भंवरी बाई पुत्री किशोरीलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 76 का खसरा नं. 1522 का रकबा 0.89 है0, खसरा नं. 219 का रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 379 का रकबा 0.81 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.76 हैक्टर व ग्राम एवं माल आटोन में खाता संख्या 77 का खसरा नं. 151 का रकबा 0.85 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.85 हैक्टर आराजी में सहखातेदार भंवरी बाई पुत्री किशोरीलाल के स्थान पर भगवती देवी उर्फ भंवरी बाई पुत्री किशोरीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां